



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243766
CG-DL-E-21022023-243766

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पंजाब नैशनल बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2023

फा. सं. PNB/HRD/DAC/D&A/2022-23.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ निदेशक मंडल ने एतद्वारा पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन किया है जो इस प्रकार है:-

संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ:-

1. इस विनियम को पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी' (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम इस अधिसूचना के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 की, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

“अनुसूची”

[विनियम 3 (बी), 3 (जी), 3 (एन) देखें]

क्र. सं.	पद का नाम	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I यामध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-II या मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-III के अधिकारी	महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय या उनकी अनुपस्थिति में मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है	मुख्य महाप्रबंधक –मानव संसाधन, प्रधान कार्यालय या उनकी अनुपस्थिति में या ऐसे मामले में जहां मुख्य महाप्रबंधक-अंचल कार्यालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, वहां कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में/यदि वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I यामध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-II या मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-III के अधिकारी (जहां कार्रवाई का कारण प्रधान कार्यालय या प्रतिनियुक्ति या विदेश में तैनाती के स्थान पर उत्पन्न हुआ है)	महाप्रबंधक – मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय		
3.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV या वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-V के अधिकारी	महाप्रबंधक – मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक – मानव संसाधन, प्रधान कार्यालय या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में/यदि वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VI या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VII के अधिकारी	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में/यदि वे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोर्ड की समिति	बोर्ड की समिति या यदि समिति अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रही है, वहां बोर्ड
5.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII के अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	बोर्ड की समिति	बोर्ड

नोट : प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक, एक विशिष्ट या सामान्य आदेश के द्वारा महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक को निर्दिष्ट करेंगे, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

एस. के. राणा, मुख्य महाप्रबंधक – एचआर

[विज्ञापन-III/4/असा./625/2022-23]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, यथा: -

क्र. सं.	संख्या	अधिसूचना की तिथि	तिथि जब आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन हुआ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNB/DAC/P/2/2008	29.08.2008	13.09.2008
2.	PNB/HRMD/DAC/P/2/2016	30.11.2016	03.12.2016
3.	HRDD/POL/OSR/(E)	27.03.2020	27.03.2020

PUNJAB NATIONAL BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2023

F. No. PNB/HRD/DAC/D&A/2022-23.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors after consultation with Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977, namely:-

Short Title and commencement: -

- (1) These regulations may be called the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2023.
(2) They shall come into force on the date of Publication in the Official Gazette.
- In the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977 for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE”

[See regulation 3(b), 3(g), 3(n)]

S. No.	Name of post	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Officers in Junior Management Grade Scale- I or Middle Management Grade Scale- II or Middle Management Grade Scale- III	General Manager, Zonal Office or in his/her absence Chief General Manager, Zonal Office of place where cause of action arisen.	Chief General Manager – Human Resource Division, Head Office or in his/her absence or in case where Chief General Manager-Zonal Office is Disciplinary Authority, Executive Director.	Executive Director or in his/her absence/ in case he/she is functioning as Appellate Authority, Managing Director and Chief Executive Officer
2	Officers in Junior Management Grade Scale- I or Middle Management Grade Scale- II or Middle Management Grade Scale- III (where cause of action has arisen at Head Office or place of deputation or Overseas posting)	General Manager - Human Resource Division, Head Office		
3	Officers in Senior Management Grade Scale-IV or Senior Management Grade Scale-V	General Manager – Human Resource Division, Head Office	Chief General Manager- Human Resource Division, Head Office or in his/her absence Executive Director	Executive Director or in his/her absence/ in case he/she is functioning as Appellate Authority, Managing Director and Chief Executive Officer
4	Officers in Top Executive Grade Scale-VI or Top Executive Grade Scale-VII	Executive Director or in his/her absence Managing Director and Chief Executive Officer	Managing Director and Chief Executive Officer or in his/her absence / in case he/she is functioning as Disciplinary Authority, the Committee of the Board	The Committee of the Board or in case the Committee is functioning as Appellate Authority, the Board
5	Officers in Top Executive Grade Scale-VIII	Managing Director and Chief Executive Officer or in his/her absence Executive Director.	The Committee of the Board	The Board”.

Note: The Managing Director and Chief Executive Officer or the Executive Director by way of a specific or general order shall specify the General Manager or Chief General Manager, who would act as Disciplinary Authority.

S. K. RANA, Chief General Manager- HR

[ADVT.-III/4/Exty./625/2022-23]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and were subsequently amended vide following notifications, namely:

Serial No.	Number	Date of Notification	Date when published in the Official Gazette
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNB/DAC/P/2/2008	29.08.2008	13.09.2008
2.	PNB/HRMD/DAC/P/2/2016	30.11.2016	03.12.2016
3.	HRDD/POL/OSR(E)	27.03.2020	27.03.2020